न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 276/2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कालुराम पुत्र रामाराम		1. आदुराम पुत्र किरताराम
2. चैनाराम पुत्र रामाराम		2. इसराराम पुत्र किरताराम
3. जमनादेवी पुत्री रामाराम		3. किसनाराम पुत्र चुतराराम
4. जेहाराम पुत्र पोकरराम		4. गंगाराम पुत्र जेठाराम
5. तोगाराम पुत्र रामाराम		5. चुनाराम पुत्र किरताराम
6. धुड़ीदेवी पत्नी रामाराम		6. धुड़ाराम पुत्र चुतराराम
7. नैनुदेवी पुत्री रामाराम		7. धोलाराम पुत्र चुतराराम
8. पेपोंदेवी पुत्री रामाराम		8. मदाराम पुत्र जेठाराम
9. मंगलाराम पुत्र पोकरराम		9. मिश्राराम पुत्र जेठाराम
10. मोतीराम पुत्र रामाराम		10. मोनी पत्नि चुतराराम
11. मोहनराम पुत्र रामाराम		11. सुखाराम पुत्र जेठाराम के कायम मुकाम 11/1 चुनीदेवी पन्ति सुखराम 11/2 थानाराम पुत्र सुखराम जाति मेगवंशी निवासी करडाली नाडी
12. सताराम पुत्र पोकरराम		12. दुर्गाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी
13. सायरराम पुत्र पोकरराम जाति मेगवंशी निवासी करडाली नाडी तहसील सिणधरी		13. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 14. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिणधरी 15. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री विष्णु चौधरी, वकील प्राथीगर्ण की ओर से उपस्थित।

2.श्री भंवरलाल चौधरी, वकील विप्रार्थी सं. 1 से 10 की ओर से।

3. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक– 28.01.2026

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि रिमाण्ड प्रकरण में प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 24 रकबा 0.1052 हैक्टर व खसरा नम्बर 25 रकबा 30.7258 हैक्टयर ग्राम करडाली नाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 व 11 के खेत खसरा संख्या 271/21 रकबा 3.3493 हैक्टयर तथा विप्रार्थी सं. 12 के खसरा नम्बर 23/4 रकबा 13.9148 हैक्टयर भूमि आये हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी स.1 से 12 की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। विप्रार्थी संख्या 01 से 12 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देते है। जिससे प्रार्थी को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थी ने ग्राम करडाली नाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 271/21 व 23/4 भूमि में होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1 से 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत करतेअ हुए कथन किया कि प्रार्थीगण कालुराम वगेरा ने एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राज.का.अधि. का विप्रार्थीगण के खेत में से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था जो न्यायालय में दर्ज कर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 278/2022 दर्ज किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया। जिस पर विप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये। कि जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिणधरी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई मौका रिपोर्ट आने पर दिनांक 04.12.2024 को पत्रावली में फसला कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर लिया गया। उक्त आवेदन पत्र एक तरफा सुनवाई कर फैसल किया गया। विप्रार्थीगण को सुनवाई व जवाब पेश करने का अवसर नहीं दिया था। कि राजस्व आवेदन संख्या 276/22 निर्णय दिनांक 04.12.2024 के निर्णय के विरूद्ध विप्रार्थीगण ने उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के न्यायालय में अपील पेश की जिस पर राजस्व अपील अधिकारी महोदय बाड़मेर ने राजस्थ अपील संख्या 06/2025 का दिनांक 09.06. 2025 श्रीमान के आदेश दिनांक 04.12.2024 को खारिज कर पत्रावली पुनः श्रीमान् के न्यायालय में सुनवाई कर फैसल करने का आदेश

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

था। कि राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 276/2022 को खारिज कर पुनः सुनाई हेतु श्रीमानजी के समक्ष भेजने पर इस पत्रावली में श्रीमानजी के द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया है। कि विप्रार्थीगण ने वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी नया रास्ता खसरा नम्बर 271/21 व खसरा नम्बर 23/34 में चाहा गया जो गलत था पूर्व में मौका रिपोर्ट में तहसीलदार साहब सिणधरी ने केवल रास्ता खसरा नम्बर 271/21 में से होना बता कर उस रास्ते का नक्शा भेजा प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नम्बर 23/34 में रास्ते की मांग की गई थी उस में से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया व केवल विप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 के खेत खसरा नम्बर 271/21 में रास्ता प्रस्तावित कर दिया हैं। कि विप्रार्थीगण पूर्व में जिस वैकल्पिक रास्ता से होकर सड़क तक पहुंचता था वह रास्ता विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत् में होकर गुजरता था इस उपयोग रास्ते का प्रार्थीगण के अलावा दुसरे लोग भी करते थे इस कारण विप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 ने अपने खेत में से वैकल्पिक रास्ता को अब आम रास्ता के रूप में विप्रार्थीगण द्वारा अपनी जमीन रास्ते हेतु समर्पण कर रास्ता घोषित करवा दिया हैं जिसमें राजस्व रेकर्ड में भी रास्ता की भूमि दर्ज हो गई हैं। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 24 व 25 से मिला दिया गया हैं। जिसका नक्शा परिशिष्ट "अ" साथ पेश किया जा रहा हैं जिसमें बरंग हरा रास्ता की भूमि बताई गई हैं व बरंग लाल प्रार्थीगण की भूमि बताई गई हैं। कि इस रास्ता से विप्रार्थीगण के अलावा कई काश्तकारों का इस रास्ते से लाभ मिलेगा, जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया नये रास्ते में केवल प्रार्थीगण को ही रास्ता का लाभ मिल रहा था इस वैकल्पिक रास्ता में खेत खसरा नम्बर 441/27, खसरा नम्बर 442/21, खसरा नम्बर 447/21, खसरा नम्बर 443/21, खसरा नम्बर 445/27. खसरा नम्बर 444/21, खसरा नम्बर 371/29, खसरा नम्बर 375/29, खसरा नम्बर 454ध/26, खसरा नम्बर 24 व 25 के सभी खातेदारों को इस रास्ते का लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार जब वैकल्पिक रास्ता कटाण रास्ता के रूप में प्रार्थीगण को उपलबध हैं। कि प्रार्थीगण नया रास्ता उसी खेत में से नहीं मांग कर सकता हैं। प्रार्थीगण दोनों खेत खसरा नम्बर 24 व 25 इस रास्ता से जुड़े हुए हैं अतः प्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

3. विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की रिमाण्ड प्रकरण में पुनः मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। शेष पक्षकारान को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

4.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 0.1052 हैक्टर व खसरा नम्बर 25 रकबा 30.7258 हैक्टयर ग्राम करडाली नाडी तहसील सिणधरी में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी स. 1 से 12 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 271/21 व 23/4

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

में आये हुए है। विप्रार्थी संख्या 01 से 12 बरसात के मौसम में उक्त रास्ते की भूमि पर काश्त कर इसे अवरूद्व कर देता है। जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या हो जाती है और बरसात के समय खेत जोत होने के कारण चलनें से रोक–टोक भी की जाती रहती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुरूप रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी स.1 व 12 खातेदार को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

5.विप्रार्थी संख्या 15 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

6.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत मौजा करडाली नाडी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 24,25 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खेत खसरा संख्या 271/21 व 23/4 में से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से पुनः मौका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। परन्तु विप्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत लिखित प्रकथन में स्पष्ट किया कि विप्रार्थीगण ने वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी नया रास्ता खसरा नम्बर 271/21 व खसरा नम्बर 23/34 में चाहा गया जो गलत था पूर्व में मौका रिपोर्ट में तहसीलदार साहब सिणधरी ने केवल रास्ता खसरा नम्बर 271/21 में से होना बता कर उस रास्ते का नक्शा भेजा प्रार्थीगण के द्वारा खसरा नम्बर 23/34 में रास्ते की मांग की गई थी उस में से रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया व केवल विप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 के खेत खसरा नम्बर 271/21 में रास्ता प्रस्तावित कर दिया हैं। कि विप्रार्थीगण पूर्व में जिस वैकल्पिक रास्ता से होकर सड़क तक पहुंचता था वह रास्ता विप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत् में होकर गुजरता था इस उपयोग रास्ते का प्रार्थीगण के अलावा दुसरे लोग भी करते थे इस कारण विप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 ने अपने खेत में से वैकल्पिक रास्ता को अब आम रास्ता के रूप में विप्रार्थीगण द्वारा अपनी जमीन रास्ते हेतु समर्पण कर रास्ता घोषित करवा दिया हैं जिसमें राजस्व रेकर्ड में भी रास्ता की भूमि दर्ज हो गई हैं। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 24 व 25 से मिला दिया गया हैं। जिसका नक्शा परिशिष्ट "अ" साथ पेश किया जा रहा हैं जिसमें बरंग हरा रास्ता की भूमि बताई गई हैं व बरंग लाल प्रार्थीगण की भूमि बताई गई हैं। कि इस रास्ता से विप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अलावा कई काश्तकारों का इस रास्ते से लाभ मिलेगा, जबकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया नये रास्ते में केवल प्रार्थीगण को ही रास्ता का लाभ मिल रहा था इस वैकल्पिक रास्ता में खेत खसरा नम्बर 441/27, खसरा नम्बर 442/21, खसरा नम्बर 447/21, खसरा नम्बर 443/21, खसरा नम्बर 445/27. खसरा नम्बर 444/21, खसरा नम्बर 371/29, खसरा नम्बर 375/29, खसरा नम्बर 454/26, खसरा नम्बर 24 व 25 के सभी खातेदारों को इस रास्ते का लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार जब वैकल्पिक रास्ता कटाण रास्ता के रूप में प्रार्थीगण को उपलबध हैं। कि प्रार्थीगण नया रास्ता उसी खेत में से नहीं मांग कर सकता हैं। इस प्रकार कोई भी खाताधारक अपनी खातेदारी खेत से जुड़े हुए किसी मार्ग से विपरीत जाकर नया रास्ता पाने के हकदार है।

7.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन इस स्तर पर खारिज किया जाता है कि जब प्रार्थीगण की खातेदारी जोत से सड़क मार्ग के रूप में समर्पित भू–भाग को रास्ते के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, नया कटाण मार्ग पाने का हकदान नहीं है, परन्तु जहां तक विप्रार्थीगण द्वारा अपनी निजी खातेदारी में से बाद समर्पित भूमि (सलंग्न परिशिष्ट–अ अनुसार बंरग लाल) जो वर्तमान में राज्य सरकार के नाम दर्ज है उसकी किस्म गै.मु. रास्ता के रूप में तहसीलदार सिणधरी राजस्व रेकर्ड में अमलदारामद किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त पूर्व में इस आवेदन के सन्दर्भ में जारी पूर्व आदेश दिनांक 04.12.2024 के अनुसरण में यदि प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु कोई डी.डी. जमा करवाई गई हो, तो उसे वापिस उसी स्वरूप में प्रार्थीगण को लौटाया जावे।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी